

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2010—फाल्गुन 7, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

आदेश

क्र. एफ-ए 3-1-2010-1-पांच (39).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) एवं धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसे अधिकारी उसके (सारणी) कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उपायुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित आदेशों से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन समस्त कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपीली प्राधिकारी को प्रदत्त की गई हैं या अधिरोपित किए गए हैं, और उनका मुख्यालय उक्त सारणी के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	अपीली प्राधिकारी (3)	क्षेत्र (4)	मुख्यालय (5)
1.	अपर आयुक्त, इन्दौर परिक्षेत्र (जोन).	अपीली प्राधिकारी, इन्दौर परिक्षेत्र	वाणिज्यिक कर संभाग इन्दौर 1, 2, 3 उज्जैन, रतलाम एवं खण्डवा की क्षेत्रीय अधिकारिता के समस्त वृत्त.	इन्दौर
2.	अपर आयुक्त, भोपाल परिक्षेत्र.	अपीली प्राधिकारी, भोपाल परिक्षेत्र	वाणिज्यिक कर संभाग भोपाल 1, 2 के क्षेत्रीय अधिकारिता के समस्त वृत्त.	भोपाल
3.	अपर आयुक्त, जबलपुर परिक्षेत्र.	अपीली प्राधिकारी, जबलपुर परिक्षेत्र	वाणिज्यिक कर संभाग जबलपुर, सतना, सागर एवं छिन्दवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारिता के समस्त वृत्त.	जबलपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	अपर आयुक्त, ग्वालियर परिक्षेत्र.	अपीली प्राधिकारी, ग्वालियर, परिक्षेत्र.	वाणिज्यिक कर संभाग ग्वालियर 1, 2 के क्षेत्रीय अधिकारिता के समस्त वृत्त.	ग्वालियर

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. एफ-ए 3-1-2010-1-पांच (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-1-2010-1-पांच (39), दिनांक 26 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th February 2010

ORDER

F. No. A-3-1-2010-1-V(39).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 and Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the table as Appellate Authority specified in column (3), and specify that such officers shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on the Appellate Authority by or under this Act in respect of the appeals arising out of the orders passed by the Deputy Commissioner of Commercial Tax in the area specified in column (4) thereof and their headquarters shall be at the places specified in column (5) of the said table:—

TABLE

S. No. (1)	Designation of the officer (2)	Appellate Authority (3)	Area (4)	Headquarters (5)
1.	Additional Commissioner, Indore Zone.	Appellate Authority, Indore Zone.	All the circles of the territorial jurisdiction of the Commercial Tax Division Indore-1, 2, 3 Ujjain, Ratlam and Khandwa.	Indore
2.	Additional Commissioner, Bhopal Zone.	Appellate Authority, Bhopal, Zone.	All the circles of the territorial jurisdiction of the Commercial Tax Division Bhopal-1, 2.	Bhopal
3.	Additional Commissioner, Jabalpur Zone.	Appellate Authority, Jabalpur, Zone.	All the circles of the territorial jurisdiction of the Commercial Division Jabalpur, Satna, Sagar and Chhindwara.	Jabalpur
4.	Additional Commissioner, Gwalior Zone.	Appellate Authority, Gwalior, Zone.	All the circles of the territorial jurisdiction of the Commercial Tax Division Gwalior-1, 2.	Gwalior

2. This notification shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.